

कार्यालय: उपवन संरक्षण, नागौर

क्रमांक. एफ () / 2024

दिनांक 19/4/18

अति प्रधान मुख्य वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी

एफ सी ए राज - जयपुर

विषय :- अजमेर - भैरुन्दा लाइन के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या F: /RJ/TRANS/ 29091/2017 ।

सन्दर्भ :- क्षेत्रीय वन अधिकारी परबतसर का पत्र क्रमांक 75 दिनांक- 20.02.2018 ।

महोदय ,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि संदर्भित पत्र द्वारा क्षेत्रीय वन अधिकारी परबतसर द्वारा प्रस्तावित अजमेर भैरुन्दा विद्युत लाइन २२० के वीके वन क्षेत्र से निकलने पर नुकसान होने वाले वृक्षों की गणना कर प्रजातिवार रिपोर्ट इस कार्यालय से प्रेषित की गयी थी जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

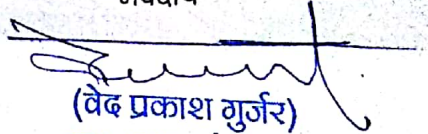
क्रम स.	नाम / प्रजाति	पौधों की उचाई (मी. में)	अनुमानित गोलाई (से. मी. में)	विवरण
1	धोक	2 से 5 मीटर	1 से 30 सेमी.	उक्त वृक्ष विद्युत लाइन के निचे आने से इनकी उटाई (TO BE PRUNE) की जायेगी
2	धोक	"	"	"
3	धोक	"	"	"
4	धोक	"	"	"
5	धोक	"	"	"
6	धोक	"	"	"
7	धोक	"	"	"
8	धोक	"	"	"
9	धोक	"	"	"
10	धोक	"	"	"
11	धोक	"	"	"
12	धोक	"	"	"
13	धोक	"	"	"
14	धोक	"	"	"
15	धोक	"	"	"
16	धोक	"	"	"

17	धोक	"	"	"
18	धोक	"	"	"
19	धोक	"	"	"
20	धोक	"	"	"
21	धोक	"	"	"
22	धोक	"	"	"
23	धोक	"	"	"
24	ककेड़ा	1 से 3 मीटर	"	"
25	ककेड़ा	"	"	"
26	ककेड़ा	"	"	"
27	ककेड़ा	"	"	"
28	ककेड़ा	"	"	"
29	ककेड़ा	"	"	"
30	ककेड़ा	"	"	"
31	ककेड़ा	"	"	"
32	ककेड़ा	"	"	"
33	ककेड़ा	"	"	"
34	ककेड़ा	"	"	"
35	ककेड़ा	"	"	"
36	ककेड़ा	"	"	"
37	ककेड़ा	"	"	"
38	ककेड़ा	"	"	"
39	ककेड़ा	"	"	"
40	ककेड़ा	"	"	"
41	ककेड़ा	"	"	"
42	ककेड़ा	"	"	"
43	ककेड़ा	"	"	"
44	ककेड़ा	"	"	"
45	ककेड़ा	"	"	"
46	ककेड़ा	"	"	"
47	ककेड़ा	"	"	"
48	ककेड़ा	"	"	"
49	ककेड़ा	"	"	"
50	ककेड़ा	"	"	"
51	ककेड़ा	"	"	"

52	ककेड़ा	"	"	"
53	खेजड़ी	2 से 5 मीटर	"	"
54	खेजड़ी	"	"	"
55	खेजड़ी	"	"	"
56	खेजड़ी	"	"	"
57	एरोज	4 मीटर	"	"
58	कुमठा व झाड़ी नुमा	1 से 2.5 मीटर	"	"
59	कुमठा व झाड़ी नुमा	"	"	"
60	कुमठा व झाड़ी नुमा	"	"	"
61	कुमठा व झाड़ी नुमा	"	"	"
62	कुमठा व झाड़ी नुमा	"	"	"
63	कुमठा व झाड़ी नुमा	"	"	"
64	कुमठा व झाड़ी नुमा	"	"	"
65	कुमठा व झाड़ी नुमा	"	"	"
66	कुमठा व झाड़ी नुमा	"	"	"
67	कुमठा व झाड़ी नुमा	"	"	"
68	कुमठा व झाड़ी नुमा	"	"	"
69	कुमठा व झाड़ी नुमा	"	"	"
70	कुमठा व झाड़ी नुमा	"	"	"
71	कुमठा व झाड़ी नुमा	"	"	"
72	कुमठा व झाड़ी नुमा	"	"	"
73	कुमठा व झाड़ी नुमा	"	"	"
74	कुमठा व झाड़ी नुमा	"	"	"
75	कुमठा व झाड़ी नुमा	"	"	"
76	कुमठा व झाड़ी नुमा	"	"	"
77	कुमठा व झाड़ी नुमा	"	"	"
78	कुमठा व झाड़ी नुमा	"	"	"
79	कुमठा व झाड़ी नुमा	"	"	"
80	कुमठा व झाड़ी नुमा	"	"	"
81	कुमठा व झाड़ी नुमा	"	"	"
82	कुमठा व झाड़ी नुमा	"	"	"
83	कुमठा व झाड़ी नुमा	"	"	"
84	कुमठा व झाड़ी नुमा	"	"	"
85	कुमठा व झाड़ी नुमा	"	"	"
86	कुमठा व झाड़ी नुमा	"	"	"

87	कुमठा व झाड़ी नुमा	"	"	"
88	कुमठा व झाड़ी नुमा	"	"	"
89	कुमठा व झाड़ी नुमा	"	"	"
90	कुमठा व झाड़ी नुमा	"	"	"
91	कुमठा व झाड़ी नुमा	"	"	"
92	कुमठा व झाड़ी नुमा	"	"	"
93	टोटलिस	1 से 3 मीटर	"	"
94	टोटलिस	"	"	"
95	टोटलिस	"	"	"
96	टोटलिस	"	"	"
97	टोटलिस	"	"	"
98	टोटलिस	"	"	"
99	टोटलिस	"	"	"
100	टोटलिस	"	"	"
101	डासन झाड़ी नुमा	1 से 2 मीटर	"	उक्त वृक्ष विद्युत टावर के फाउंडेशन में आने से इन्हे काटा (To be cut) जाएगा
102	डासन झाड़ी नुमा	"	"	"
103	डासन झाड़ी नुमा	"	"	"
104	डासन झाड़ी नुमा	"	"	"
105	डासन झाड़ी नुमा	"	"	"
106	डासन झाड़ी नुमा	"	"	"
107	डासन झाड़ी नुमा	"	"	"
108	कुमठा	2 से 3 मीटर	"	"
109	कुमठा	"	"	"

भवदीय


(वैद प्रकाश गुर्जर)
उप वन संरक्षक
नागौर

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक अजमेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

(वैद प्रकाश गुर्जर)
उप वन संरक्षक
नागौर